न्यायालय सिविल जज जू०डि०, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं० ६६३/२००७
अम्बिका प्रसाद बनाम कालिका प्रसाद

२९.०८.२०१९

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र १०७ग२ पर सुना–

प्रार्थनापत्र १०७ग२ वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का वाद दाखिल किया है, लेकिन मुकदमे में विवादित भूमि के बाबत आज तक कोई सर्वे मैप नहीं बना है। मुकदमे में प्रभावशाली डिक्री पारित करने हेतु विवाद स्थल का सर्वे मैप जरिए अदालत अमीन बनवाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थनापत्र पर आपत्ति करने हेतु प्रतिवादी उपस्थित नहीं है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई नक्शा दाखिल नहीं है। न्यायालय की राय में वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति स्पष्ट करने तथा वाद के प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु मौके की सर्वे रिपोर्ट जरिए अदालत अमीन मंगवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थनापत्र १०७ग२ न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र १०७ग२ स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। बाद पैरवी अदालत अमीन को परवाना जारी हो। अदालत अमीन को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर नियमानुसार पैमाइश करके पैमाइशी नक्शा नियत तिथि तक दाखिल किया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते इन्तजार अमीन रिपोर्ट दिनांक १९.१०.२०१९ को पेश हो।

सिविल जज जू०डि०
खलीलाबाद स्थान बस्ती।